**जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र,देहरादून।**


**सम्पर्क नं0—0135—2726066,1077**

**ई—मेल—deoc.pgrc.ddn@gmail.com**


## स्वैछिक संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

जनपद देहरादून के समस्त तहसीलों/विकासखण्डों के प्रत्येक ग्राम एवं स्कूलों में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण, जन जागरूकता और मॉकड्रिल—अभ्यास करवाने तथा ग्राम एवं स्कूलों की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाऐं तैयार करने आदि कार्यो हेतु जनपद देहरादून में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/संस्थाऐं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हों, जिनके पास आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यो का कम से कम 02 वर्षो का अनुभव हो तथा उपरोक्त कार्यो हेतु 04 प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण जनजागरूकता में सहायक उपकरण आदि उपलब्ध हों, से रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव जनपद की प्रत्येक तहसील/विकासखण्ड हेतु पृथक—पृथक आमंत्रित किये जाते हैं। एक स्वैच्छिक संगठन को मात्र एक तहसील/विकासखण्ड ही आवंटित किया जायेगा। अतः प्रत्येक तहसील/विकासखण्ड हेतु पृथक—पृथक रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपरोक्त विषय पर रूचि की अभिव्यक्ति हेतु जानकारियॉ एवं प्रपत्र दिनांक 30—01—2016 को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून से दिनांक 29—01—2016 को सायं 05.00 बजे तक प्राप्त कर 12.00 बजे अपरान्ह तक जमा किये जा सकते है, अथवा जनपद की NIC वैबसाईट **www.dehradun.nic.in** में आपदा प्रबन्धन—रूचि की अभिव्यक्ति **Disaster Management, Expression of Interest** से डाउनलोड की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार गैरसरकारी संस्थाऐं/संगठन निम्नलिखित विवरणों को संलग्न करते हुये रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों/प्रपत्रों तथा 4 प्रशिक्षकों सहित दिनांक 30—01—2016 को 04:00 सांय पर जिला कार्यालय देहरादून में चयन एवं समन्वयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। संस्थाओं के चयन हेतु निम्नलिख़ित दस्तावेज एवं शर्तें आवश्यक होंगी।

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
2. विगत 03 वर्षो के कार्यो की ऑडिटेट रिपोर्ट आवश्यक है।
3. स्वैछिक संगठन का आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण सम्बन्धी अभ्यास एवं जनजागरूकता आदि के क्षेत्र में किये गये कार्यों का न्यूनतम 02 वर्षो का अनुभव संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. 01 स्वैछिक संगठन मात्र एक तहसील अथवा विकासखण्ड में ही कार्य कर सकेगा। इस हेतु इच्छुक तहसील/विकासखण्ड का नाम दिया जाना अनिवार्य है।
5. स्वैछिक संगठनों द्वारा अपने पास उपलब्ध विशय 04 प्रशिक्षकों को जो आपदा प्रबन्धन, विद्यालय स्तरीय मॉकड्रिल, जनजागरूकता, भूकम्प सुरक्षित निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा आदि विशयों पर प्रशिक्षित हों को शैक्षिक एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा तथा संस्था के पास उपलब्ध प्रशिक्षण, जनजागरूकता हेतु आवश्यक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, लैपटोप, ऑडियो विजुवल ऐड्स आदि का विवरण भी दिया जायेगा।
6. स्वैछिक संगठनों के पास रू0 05 लाख प्रतिवर्ष की कार्ययोजनाओं के वित्तीय क्रियान्वयन का अनुभव हो तथा सरकारी एवं अन्य वित्तीय संथाओं से प्रदत्त सहायता से संचालित कार्यो का अनुभव हो संलग्न किया जाए।

7. ऐसे गैर सरकारी स्वैछिक संगठन जिन्होंने जनपद आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अथवा आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ पूर्व में कार्य किया हो को प्राथमिकता दी जा सकती है इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये।

8. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित हों।

9. स्वैच्छिक संगठनों के चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अनन्तिम होगा।

उपरोक्त विषय पर संस्थाऐं अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव एवं 04 प्रशिक्षकों एवं दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय सभागार में दिनांक 30–01–2016 सायः 04.00 बजे से चयन एवं समन्वयन समिति के सम्मुख प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

जिलाधिकारी
देहरादून